छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 62/2006

श्री ओ. पी. वर्मा,
डिप्टी कलेक्टर,
जिला–जशपुर (छत्तीसगढ़)

.... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग,
मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(दिनांक 20 मार्च 2007)

श्री ओ.पी.वर्मा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने दिनांक 25–09–2006 को जन सूचना अधिकारी, राजस्व विभाग, मंत्रालय, रायपुर को आवेदन–पत्र देकर एन्टीकरप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के अचल संपत्ति एवं बेनामी अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा था। जन सूचना अधिकारी ने आवेदन–पत्र अस्वीकार किया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 27–11–2006 के द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की, जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील छत्तीसगढ़ सूचना आयोग में प्रस्तुत की गई है।

3/ आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया तथा दोनों पक्षों के द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्कों को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसके द्वारा उक्त संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित अर्जित संपत्ति की जानकारी चाही थी, जिससे कि भ्रष्टाचार पर पर्याप्त नियंत्रण हो सके। मांगी गई जानकारी राजस्व अभिलेखों से संबंधित है तथा राजस्व विभाग द्वारा दिया जाना चाहिये। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी की अपील इस आधार पर अस्वीकार की कि संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अचल संपत्तियों का विवरण संबंधित विभाग के द्वारा ही रखा जाता है। राजस्व विभाग में इसका कोई अभिलेख नहीं रहता है। अतः मांगी गई जानकारी की विशालता एवं अव्यवहारिकता के कारण राजस्व विभाग के द्वारा जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा अपने तर्क में यह स्पष्ट किया गया कि विभाग में राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की अचल संपत्तियों का विवरण रखा जाता है, अन्य विभागों का नहीं।

4/ प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा आवेदन–पत्र देकर एण्टीकरप्शन ब्यूरो एवं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अचल संपत्तियों का विवरण चाहा गया था। अपीलार्थी ने संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों की सूची ही दी और न ही यह स्पष्ट किया किया उनकी संपत्ति किस जिले की, किस तहसील की एवं किस गांव की है, तथा संपत्ति किस रूप में अचल संपत्ति में मकान एवं भूमि सम्मिलित होते हैं। मकानों की जानकारी राजस्व विभाग के पास नहीं रहती है। केवल भूमि संबंधी जानकारी ही राजस्व विभाग के पास रहती है, वह भी जबकि किस व्यक्ति की भूमि किस गांव/शहर में किस सर्वे नंबर पर स्थित है, यह स्पष्ट रूप से आवेदन दिये जाने पर निर्धारित शुल्क लेकर खसरे की प्रति संबंधित राजस्व अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। केवल किसी विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमि की जानकारी का आवेदन देने मात्र से जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से किस अधिकारी/कर्मचारी की किस संपत्ति का विवरण चाहिये, उसे स्पष्ट करते हुये आवेदन देना था। राजस्व विभाग के पास यह जानकारी नहीं हो सकती कि अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की कहां कितनी भूमि है तथा उनके परिवार के सदस्यों के पास कितनी भूमि है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों का वार्षिक अचल संपत्ति विवरण संबंधित विभाग के द्वारा ही संधारण किया जाता है, अतः राजस्व विभाग के पास उपलब्ध नहीं होने से यह जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत आवेदक को लोक प्राधिकारी के अंतर्गत संधारित अभिलेख की जानकारी दी जा सकती है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एण्टीकरप्शन ब्यूरो के अधिकारियों/कर्मचारियों की अचल संपत्ति की जानकारी संबंधित विभाग के द्वारा ही प्रति वर्ष संधारित की जाती है, अतः राजस्व विभाग के पास जानकारी उपलब्ध नहीं होने से यह जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।

5/ उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत राजस्व विभाग में जानकारी उपलब्ध होते हुये भी जन सूचना अधिकारी, राजस्व विभाग के द्वारा जानकारी नहीं दी। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश में कोई हस्पक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश विधिवत् एवं न्यायसंगत है, अतः अपीलार्थी कि यह अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त